Website : www.prsuprayagraj.in E-mail ID- registrar@prsuniv.ac.in

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

पत्रांक: प्रो0रा0सि0वि0वि0 / सम्ब0 / / / 2021 दिनांक: 23 / 11 / 2021

प्रो0रा0सि0वि0वि0 / कुसका / सम्ब0 / अनुमोदन / 2021–4213

कार्यालय–आदेश

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अनुमोदित प्राचार्य / विभागाध्यक्ष / सहायक आचार्यो द्वारा समय–समय पर अपना अनुमोदन निरस्त करने हेतु विश्वविद्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के पत्र संख्या–2218 / सत्तर–2 – 2011–16(409) / 2010 दिनांक: 23 अगस्त, 2011 के बिन्दु संख्या–02 में यह उल्लिखित है कि "कोई प्रतिकूल परिस्थिति न होने पर प्रबन्धतंत्र सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुमोदन से शिक्षकों की संविदा का नवीनीकरण अपने स्तर से करते रहेंगे किन्तु प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।"

विश्वविद्यालय स्तर से प्राचार्य / विभागाध्यक्ष / सहायक आचार्यो का अनुमोदन निरस्त करने की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित प्रपत्रों का होना आवश्यक है–

क्र. सं.	**विश्वविद्यालय स्तर से महाविद्यालय में अनुमोदित प्राचार्य / विभागाध्यक्ष / सहायक आचार्यो का अनुमोदन निरस्त कराये जाने हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रपत्र।**
1	विश्वविद्यालय के कुलसचिव जी को अपना अनुमोदन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र जिसमें आवेदक का पूरा नाम, पिता का नाम, निवास पिन कोड सहित, मोबाईल नम्बर, ई–मेल स्पष्ट रूप से अंकित हो।
2	विश्वविद्यालय के कुलसचिव के समक्ष रू.10 / – के नोटरी द्वारा सत्यापित फोटोयुक्त शपथ पत्र पर अपना अनुमोदन निरस्त कराने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत करेंगे जिसमें अनुमोदन निरस्त कराने के कारण का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो तथा साक्ष्य / प्रमाण संलग्न करें।
3	महाविद्यालय के प्रबधक / सचिव को अनुमोदन निरस्त कराने के सम्बन्ध में पंजीकृत डाक से भेजे गये रू. 10 / – के नोटरी द्वारा प्रमाणित फोटोयुक्त शपथ पत्र की छायाप्रति एवं पंजीकृत डाक रसीद की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4	विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय से निर्गत अनुमोदन पत्र की स्पष्ट स्वप्रमाणित छायाप्रति
5	आधार कार्ड एवं पैनकार्ड की स्पष्ट स्वप्रमाणित छायाप्रति।
6	महाविद्यालय द्वारा यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो तो उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति।
7	प्राचार्य / विभागाध्यक्ष / सहायक आचार्य का यदि किसी सरकारी संस्था में चयन हो गया हो तो उसका प्रमाण स्वप्रमाणित सहित।

www.prsuprayagraj.in E-mail ID- registrar@prsuniv.ac.in

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

उपरोक्त तथ्यों को समाविष्ट करते हुए प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्यो के अनुमोदन निरस्त पत्रावली विश्वविद्यालय में कुलसचिव कार्यालय में प्रेषित की जाए जिससे अनुमोदन निरस्तीकरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

(एस.के. शुक्ल)
कुल सचिव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कुलसचिव कार्यालय।
2. निजी सचिव, माननीय कुलपति को, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय–ज्ञाप को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के लॉगिन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

22/11/2021

(सुनील कुमार सरोज)
सहायक कुल सचिव